

दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

नासिक से निर्यात को बढ़ावा देना

1837. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार महाराष्ट्र नासिक जिले को अंगूर, प्याज, वाइन, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, इंजीनियरिंग सामानों और फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक प्रमुख निर्यात क्लस्टर के रूप में मान्यता देती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) बाजार पहुंच, संभार तंत्र, शीत श्रृंखला, परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं सहित नासिक से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या हालिया निर्यात मंदी के बीच नासिक के कृषि और औद्योगिक निर्यात के लिए नए वैश्विक बाजारों को चिह्नित किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निर्यात से जुड़ी लागतों को कम करने के लिए नासिक के एमएसएमई और छोटे निर्यातकों को कौन सी लक्षित सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), वाणिज्य विभाग की एक क्षमता-निर्माण पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात, विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

डीईएच पहल के तहत, निर्यात सुविधा, हैंडहोल्डिंग और सेंसिटाइजेशन सहायता, और डिजिटल ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग प्रदान की जाती है, जिससे निर्यातकों और एमएसएमई को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभावी ढंग से शामिल

होने के लिए आवश्यक सहायता मिलती है। नासिक जिले में निर्यातकों के लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महाराष्ट्र के नासिक जिले से अंगूर, प्याज, वाइन, प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद और फार्मास्युटिकल उत्पादों को निर्यात केन्द्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल के तहत फोकस उत्पादों के रूप में चिह्नित किया गया है।

जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) का गठन नासिक जिले के लिए किया गया है, जिसमें डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिला प्राधिकारी, अन्य राज्य और केंद्र सरकार के प्राधिकरण आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो जिलों की विशिष्ट निर्यात सुविधा पहलों की निगरानी करने, बाधाओं की समीक्षा करने और उचित मध्यस्थाओं की सिफारिश करने के लिए हैं।

नासिक जिले के डीईपीसी ने जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) भी तैयार की है, जिसमें निर्यात क्षमता की पहचान करना, स्थानीय व्यवसायों की सहायता करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना और नासिक जिले के लिए उन्हें वैश्विक बाजारों से जोड़ना शामिल है।

इसके अलावा, सरकार ने 12 नवंबर, 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों, विशेष रूप से एमएसएमई में निर्यातकों को सहायता देना और भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। निर्यात संवर्धन मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होगा:

- (i) निर्यात प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण और निर्यात विविधीकरण के लिए ऋण में वृद्धि करने संबंधी सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच बनाने में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।
- (ii) निर्यात दिशा, निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और भंडारण, अंतर्देशीय परिवहन सहायता और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार एनेबलर्स पर ध्यान केन्द्रित करती है।

ईपीएम नासिक सहित सभी क्षेत्रों के निर्यातकों की सहायता करेगी ।

वाणिज्य विभाग ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से नई पहल 'भारती' (निर्यात सक्षमता हेतु कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और

इन्क्यूबेशन के लिए भारत का केन्द्र) शुरू की है। इसे कृषि-खाद्य स्टार्टअप को सशक्त बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उत्पाद विकास और लॉजिस्टिक्स में निर्यात चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सरकार ने भारतीय निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई को व्यापक व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और वाणिज्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने और नए और मौजूदा निर्यातकों के लिए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक मध्यस्थ मंच के रूप में कार्य करता है।
